

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 28.02.25

रीडर/2025/ 928

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जेठाराम पुत्र  
गोकलाराम जाति  
जाट निवासी  
छीतर का पार  
पटवार हल्का  
छीतर का पार  
तहसील बाटाडु  
जिला बाड़मेर

1 किशोरसिंह पुत्र कानसिंह 2 राजुसिंह पुत्र जेतमालसिंह 3 विजयसिंह  
पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपुत 4 गेनाराम पुत्र भीयाराम 5 जेठाराम पुत्र  
विशनाराम 6 मगाराम 7 सीमरथाराम पिसरान गंगनाराम 8 चोखाराम  
पुत्र गोकलाराम 9 पुनगाराम पुत्र अमराराम 10 अन्नाराम पुत्र देवाराम  
11 पुखराज 12 श्रवणराम 13 ईसराराम पिसरान अचलाराम 14  
मालाराम पुत्र गंगनाराम 15 किरतुराम पुत्र अर्जुनराम 16 बांकाराम 17  
रागाराम पिसरान गूलाराम 18 पुराराम 19 रूपाराम पिसरान नारणाराम  
20 राउराम 21 नगाराम पिसरान सरदाराम जाति जाट 22 प्रहलादराम  
23 चेनाराम पिसरान मुकनाराम 24 बादली 25 पावुराम 26 विश्वाराम  
पिसरान सनुराम जाति भील 27 श्रीराम 28 लसुराम पिसरान वागाराम  
29 रमेश 30 मुकेश पिसरान जुंजाराम जाति जाट 31 मानाराम पुत्र  
मुकनाराम जाति भील निवासी छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का  
पार तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-194/2024

दिनांक- 19/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा छीतर का पार पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या 275, 276, 277, 296 व 297 रकबा 6.8765, 0.0485, 1.9012, 7.3862 व 15.6542 हेक्टर,  
भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर  
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत  
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी  
की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



( वीरमा राम )

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2025/ 929 - 32

दिनांक- 28.02.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जेठाराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट निवासी छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडु  
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण किशोरसिंह पुत्र कानसिंह वगैरह जाति छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडु  
जिला बाड़मेर।





उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर